



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
DCIT/ACIT (Vig & Pros) NAGPUR

To, VIVEKA SUPER SPECIALITY HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED Plot No. 1 A NAIK LAYOUT PARSODI SUBHASH NAGAR, Ranapratap Nagar S.O Nagpur (Urban) NAGPUR 440022, Maharashtra India	
---	--

PAN: AADCI9874L	Dated: 23/07/2025	DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2025-26/1078820249(1)
--------------------	----------------------	---

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order

As per attached order u/s17(2) of the I. Tax Act, 1961 of Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
Nagpur bearing F. No.Pr.CCIT/NGP/ACIT(CO)/17(2)/VSSHRCPL/2025-26, dated 23.07.2025

VIJAY PANDURANGJI KAMBLE
DCIT/ACIT (Vig & Pros) NAGPUR

Copy to:

1. Secretary, CBDT, North Block, New Delhi-110001
2. All Pr.CCITs in India
3. All Pr.CITs/ CITs of Nagpur

VIJAY PANDURANGJI KAMBLE
DCIT/ACIT (Vig & Pros) NAGPUR

(In case the document is digitally signed please
Enclosed: Refer to attachment ATTACHMENT_100099020235.pdf

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
, Ayakar Bhavan, Civil Lines NGP, Civil Lines, TelangKhedi Road, NAGPUR, Maharashtra, 440001
Email: NAGPUR.DCIT.HQ.VIG.PCCIT@INCOMETAX.GOV.IN,

refer Digital Signature at the bottom of the page)



Signature valid

Digitally Signed
Name: VJAY
PANDURANJOJI KAMBLE
Date: 23-Jul-2025 16:50:33



कार्यालय, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर

पहला तल, आयकर भवन, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001

OFFICE OF THE
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NAGPUR

1st Floor, Aayakar Bhawan, Telangkhedi Road, Civil Lines, Nagpur - 440 001

टेलि./Tel.: 0712- फॅक्स/Fax: 2565098

ई-मेल/E-mail: nagpur.dcit.co@incometax.gov.in

F.No.Pr. CCIT/NGP/ACIT(CO)/17(2)/VSSHRCPL /2025-26

Date : 23/07/2025

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) का परंतुक का खंड (ii) का उप-खंड (ख) के साथ
पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के अंतर्गत अनुमोदन का आदेश

**Order of Approval under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-section (2)
of Section 17 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 3A(1) of Income-tax Rules,
1962**

.....

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के परंतुक का खंड (ii) का उप-खंड (ख) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए)(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर एतद्वारा मेसर्स विवेका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर प्रायवेट लिमिटेड (पैन: AADCI9874L), प्लॉट स.1A, नाइक लेआउट, परसोडी, सुभाश नगर, नागपुर-440022, पर स्थित है, को उपर्युक्त धाराओं, उप-धारा (2) के खंड (vi) के परंतुक के तहत अनुमोदन प्रदान करती हूँ जोकि इस प्रयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश, मानक एवं निर्देश जो इस आदेश के 2, 3, 4 तथा 5 अनुच्छेद में दिए गए हैं, के अध्याधीन होगा। यह अनुमोदन इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

In exercise of the powers conferred on me under proviso (ii)(b) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962, I, Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur, hereby approve **M/s Viveka Super Speciality Hospital & Research Center Private Limited, (PAN:AADCI9874L), situated at Plot No. 1A, Naik layout, Parsodi, Subhash Nagar, Nagpur-440022**, for the purpose of the said section, sub-section, clause and proviso, and subject to the guidelines, norms and directions contained in paras 2, 3, 4 and 5 of this Order. This approval is granted on the basis of the recommendation of the Committee constituted in this regard.

2. कोई राशि जो नियोक्ता द्वारा सीधे मेसर्स विवेका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर, (पैन: AADCI9874L), को कर्मचारी/उसके किसी परिजन के मेडिकल उपचार के लिए प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा, इस राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 एवं 17 के प्रयोजन हेतु अनुलब्धिया(Perquisite) नहीं माना जाएगा एवं कर्मचारी को प्राप्त होने वाली यह राशि आयकर से मुक्त

होगी। नियोक्ता इस राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कर्मचारी अपनी आयकर-विवरणों के साथ इस अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करेगा जिसमें उस रोग या व्याधि का उल्लेख होगा जिसके लिए मेडिकल उपचार की आवश्यकता थी तथा अस्पताल को भुगतान की गई राशि की रसीद भी संलग्न करना होगा। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) यथासंशोधित में उल्लेखित निम्नलिखित बीमारियों के उपचार हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

- (क) कैंसर;
- (ख) तपेदिक;
- (ग) अक्वायर्ड इम्यूनोटी डेफिसिएंसी सिंड्रोम;
- (घ) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमज्जा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंतःस्रावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो;
- (ङ) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो;
- (च) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थ्रोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो;
- (छ) स्त्री संबंधी या प्रसूति-संबंधी व्याधि या रोग, जिनके लिए सर्जिकल आपरेशन, सीजिरियन आपरेशन या लेपरोस्कोपिक इंटरवेंशन की आवश्यकता हो;
- (ज) ऊपर (घ) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;
- (झ) स्त्री रोग या प्रसविक-सेम व्याधि जिसमें कम-से-कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;
- (ञ) जलने से क्षति जिसमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;
- (ट) मानसिक विकृति-तंत्रिका या मनोसेमी--जिसमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;
- (ड) ड्रग एडिक्शन, जिसमें कम से कम लगातार सात दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो;
- (ड) एनाफाइलेक्टिक शाक्स, जिनमें इन्स्युलिन शाक्य, औषधि प्रतिघात और अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो।

Any sum paid by an employer, directly to M/s Viveka Super Speciality Hospital & Research Center Private Limited, Nagpur, (PAN:AADC19874L), for the purpose of medical treatment of employee/ any member of family of employee, shall not be treated as a perquisite for the purpose of Sections 15, 16, and 17 of the Income-tax

Act, 1961, and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under Section 192 of the Income-tax Act, 1961, in respect of such sum. The employee shall attach with his/ her return of income, a certificate from the said hospital, specifying the disease or ailment for which, medical treatment was required, and the receipt for the amount paid to the hospital. The approval is granted for treatment of the following diseases and ailments, as prescribed in Rule 3A(2) of the Income-tax Rules, 1962, as amended to date:

- (a) cancer;
- (b) tuberculosis;
- (c) acquired immunity deficiency syndrome;
- (d) disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
- (e) ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
- (f) fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopedic treatment;
- (g) gynecological or ~~obstetric~~ ~~ailment~~ disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;
- (h) ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- (i) gynecological or ~~obstetric~~ ~~ailment~~ disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- (j) burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- (k) mental disorder - neurotic or ~~psychotic~~ - requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- ~~(l) drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days;~~
- (m) anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

3. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित नियम एवं और शर्तों के अधीन है:-

- i. यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है।
- ii. इस अनुमोदन में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक उपचार को शामिल नहीं है।
- iii. अस्पताल सभी उचित समय पर आयकर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
- iv. यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा सांविधिक प्रावधानों/शर्तों की सतत अनुपालना के अध्याधीन होगा, जिनसे ऐसे अनुमोदन प्रदान किया जाना संचालित होता है तथा यह अनुमोदन प्रदान करने संबंधी सांविधिक प्रावधानों में आवश्यक होने पर तत्पश्चात किए गए बदलाव/संशोधनों जोकि सुधार/वापसी के अध्याधीन होगा।

- v. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि अनुमोदन धोखे से या तथ्यों की गलत प्रस्तुति के आधार पर प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में किसी भी समय यह अनुमोदन वापस लिया जाएगा
- vi. जब अस्पताल आयकर अधिनियम 1961 एवं समय-समय पर संशोधित आयकर नियम 1962 द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त की पूर्ति में असफल हो जाए, तब अस्पताल को ऐसे तथ्यों की सूचना तुरंत अनुमोदन प्रदानकर्ता प्राधिकारी को देनी होगी।

This order of approval is subject to the following terms and conditions:

- (i) This approval is not transferable.
- (ii) The approval will not cover Indian systems of medicine and homoeopathic treatment.
- (iii) The hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income-tax Department, as are duly authorized in this behalf.
- (iv) This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory provisions/ conditions governing the grant of such approval, and is also subject to modifications/ withdrawal, if necessitated by subsequent changes/ amendments to the statutory provisions governing the grant of approval.
- (v) This approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained by fraud or through mis-representation of facts.
- (vi) In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by the Income-tax Act, 1961, and Income-tax Rules, 1962, as amended from time to time, it will be mandatory on the part of the Hospital to immediately notify the approval issuing authority of such fact.

4. यह अनुमोदन मात्र आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) की खंड (vi) के परंतुक (ii)(b) के प्रयोजन के लिए है और इसे केंद्र सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर या यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु सरकार के तहत कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन ना समझा जाए।

This approval is only for the purpose of proviso (ii)(b) to clause (vi) of sub-section (2) of Section 17 of the Income-tax Act, 1961, and should not be construed as approval of the Central Government or the Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur, or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

5. यह अनुमोदन दिनांक 23/07/2025 से प्रदान किया जाता है और यह तीन वर्ष अर्थात् 22/07/2028 तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुमोदन प्रदान करने संबंधी दिए गए प्रावधानों में किसी संशोधन से आवश्यक हुआ ऐसे सुधार जो नियम 3ए(1) के तहत दी गई सांविधिक शर्तों का अस्पताल द्वारा सतत अनुपालन किए जाने के अध्याधीन रहेगा।

This approval is granted w.e.f. 23/07/2025 and shall remain in force for three years, i.e. upto 22/07/2028. This approval is subject to the Hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modification, as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under the Income-tax Act, 1961.

6. अनुमोदन के नुतनीकरण का आवेदन वर्तमान अनुमोदन समाप्त होने की तिथि से कम से कम 60 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Application for renewal of approval, if any, should be submitted at least 60 days before the expiry of the current approval.


(Dr. Harshvardhini Buti) 23/7/25

Pr. Chief Commissioner of Income tax, Nagpur


सेवा में,

निर्देशक,

मेसर्स विवेका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर प्रायवेट लिमिटेड (पैन: AADCI9874L), प्लॉट स.1A, नाइक लेआउट, परसोडी, सुभाश नगर, नागपुर- 440022.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001
2. भारत में सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त।
3. नागपुर क्षेत्र में सभी प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त।


(V.P. Kamble) 23/07/2025

Asst. Commissioner of Income tax (CO)
O/o the Pr. Chief Commissioner of Income tax,
Nagpur

